भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

लिखित प्रश्न सं. 2233

गुरूवार, 16 दिसम्बर, 2021/25 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना**

**2233. श्री पी. विल्सन:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 2017 से अब तक निधि आवंटन, नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने, पर्यटन स्थलों के विज्ञापन आदि सहित देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार की मंशा न केवल पहुंच योग्य सुविधाओं को बढ़ाने बल्कि दिव्यांगों की सहायता हेतु विशेषज्ञों को नियोजित करके सभी नागरिकों को पर्यटन तक पहुंच बनाने हेतु सक्षम बनाने के लिए निधियन में वृद्धि करने की है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कतिपय पर्यटन स्थलों पर अतिशय पर्यटन को कम करने के लिए कोई उचित कार्य योजना लागू की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) पर्यटन मंत्रालय ''आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच)'' और ''बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार (ओपीएमडी)'' की अपनी चल रही योजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु सहित भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। इन योजनाओं के तहत, पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों के संवर्धन के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय देश के भीतर घरेलू पर्यटन के संवर्धन और प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाता है। ''आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच)'' और ''बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार (ओपीएमडी)'' और अन्य योजनाओं के तहत पर्यटन के संवर्धन के लिए आवंटित धनराशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत बुनियादी अवसंरचना और पर्यटक सुविधाओं के विकास के तहत पर्यटन सुविधाओं और सहूलियतों का विकास सुनिश्चित करता है ताकि सभी के लिए सर्वव्यापी पहुंच या सुलभ पर्यटन उपलब्ध हो सके। योजनावार जानकारी **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) से (घ) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का दायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद पूरे देश के लिए लागू पर्यटन उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों के लिए भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) विकसित किए हैं।

*******

**अनुबंध-।**

**देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना के संबंध में दिनांक 16.12.2021 को राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2233 के भाग (क) के उत्तर में विवरण।**

'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच)'' और ''बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार' (ओपीएमडी)'' योजनाओं के तहत पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए आवंटित निधियां ।

**(करोड़ रु. में)**

| **वर्ष** | **संशोधित अनुमान (डीपीपीएच योजना)** | **संशोधित अनुमान (ओपीएमडी योजना)** |
|---|---|---|
| 2017-18 | 90.00 | 297.59 |
| 2018-19 | 127.40 | 416.23 |
| 2019-20 | 100.00 | 312.39 |
| 2020-21 | 63.33 | 115.00 |

**तमिलनाडु में केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान (सीआईएचएम) को प्रदत्त केंद्रीय वित्तीय सहायता**

| **क्रमांक** | **वर्ष** | **जारी की गई राशि (रु. में)** |
|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | 29,82,493 |
| 2 | 2019-20 | 2,08,59,160 |
| 3 | 2020-21 | 67,15,200 |

**तमिलनाडु राज्य में डीपीपीएच योजना के तहत मेलों और त्योहारों के लिए स्वीकृत धनराशि**

**(लाख रु. में)**

| **वर्ष** | **मेलों और त्योहारों का नाम** | **स्वीकृत राशि** |
|---|---|---|
| 2016-17 | मामल्लापुरम में भारत नृत्य महोत्सव | 25.00 |
| 2017-18 | मामल्लापुरम में भारत नृत्य महोत्सव | 25.00 |
| 2018-19 | मामल्लापुरम में भारत नृत्य महोत्सव | 25.00 |
| 2019-20 | i) भारतीय नृत्य महोत्सव<br>ii) कुमारी महोत्सव<br>iii) पर्यटन सांस्कृतिक महोत्सव | 50.00 |

**तमिलनाडु में केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं**

| **क्र. सं.** | **परियोजना और परिपथ का नाम** | **केंद्रीय एजेंसी** | **स्वीकृति का वर्ष** | **अनुमोदित लागत** (लाख **रु.** में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चेन्नई बंदरगाह पर मौजूदा यात्री टर्मिनल में क्रूज यात्री सुविधा केंद्र। | चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट | 2016-17 | 1724.66 |

**स्वदेश दर्शन**

| **क्रमांक** | **परियोजना और परिपथ का नाम** | **स्वीकृति का वर्ष** | **अनुमोदित लागत (₹ में)** |
|---|---|---|---|
| 1 | तटीय परिपथ (चेन्नई-माममल्लापुरम-रामेश्वरम-मनपाडु-कन्याकुमारी) का विकास | 2016-17 | 73.13 करोड़ |

**प्रशाद (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान राष्ट्रीय मिशन)**

| क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृति का वर्ष | अनुमोदित लागत (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | कांचीपुरम का विकास | 2016-17 | 13.99 करोड़ |
| 2 | वेल्लांकन्नी का विकास | 2016-17 | 4.86 करोड़ |

**तमिलनाडु में सेवाप्रदाताओं के क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि :**

| क्रमांक | वित्तीय वर्ष | धन राशि (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | 96.97 |
| 2 | 2018-19 | 213.06 |
| 3 | 2019-20 | 155.82 |
| 4 | 2020-21 | 170.46 |
| 5 | 2021-22 | 5.49 |

*******

**अनुबंध- II**

**देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना के संबंध में दिनांक 16.12.2021 को राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2233 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण।**

(i) पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' योजनाओं के तहत बुनियादी संरचना और पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके या रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी केंद्रीय एजेंसियों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों आदि को, उनके स्वामित्व के अधीन परिसंपत्तियों के लिए पर्यटन सुविधाओं और सहुलियतों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है, जिसमें सर्वव्यापक अभिगम्यता शामिल है।

(ii) केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता की योजना (सीएफए) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आरंभ की गई थी और अब तक 53 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सीएफए के तहत सभी पूर्ण परियोजनाएं दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आसानी से पहुंच योग्य है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सहयोग से विभिन्न प्राकृतिक/सांस्कृतिक विरासत स्थलों, स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों पर निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और एकल व्यक्तियों को, स्मारक मित्र के रूप शामिल करके विश्व स्तरीय पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने के लिए "एक विरासत को अपनाएं परियोजना" शुरू की है। एक 'स्मारक मित्र' के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि स्मारक बाधा रहित (सभी के लिए सुलभ) है जिसमें स्मारकों पर दिव्यांग अनुकूल शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर सुविधा, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि में संकेतक और मॉडल/3-डी कलाकृतियां, ऐप आधारित बहुभाषी ऑडियो-गाइड और बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रावधान किया गया है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में दो और श्रेणियां भी हैं - i) "सर्वश्रेष्ठ रखरखाव और दिव्यांग अनुकूल स्मारक" और ii) "अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने वाले होटलों के लिए" स्मारकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए/दिव्यांगजनों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने वाले होटल।

(v) मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत, परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत एक वचनपत्र के अधीन स्वीकृत किया जाता है जो यह प्रमाणित करता है कि अलग-अलग सक्षम पर्यटकों के लिए बाधा मुक्त वातावरण को बिल्ट-अप के डिजाइन में राज्य/शहरी विकास मंत्रालय के प्रासंगिक भवन उप-नियमों के अनुसार परियोजना के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। ।

(vi) मंत्रालय की 'प्रशाद' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को सर्वव्यापी पहुंच की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए निष्पादित किया जा रहा है।

(vii) पर्यटन मंत्रालय, परियोजना स्तर पर होटलों के अनुमोदन और परिचालन होटलों के स्टार वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना के तहत, विभिन्न श्रेणियों में पर्यटक आवास इकाइयों को परियोजना अनुमोदन/वर्गीकरण और पुन: वर्गीकरण प्रदान करता है। वर्तमान योजना के दिशानिर्देशों में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान की अनिवार्य शर्तें शामिल हैं। तदनुसार, विभिन्न सितारा श्रेणियों के तहत वर्गीकृत सभी होटलों को कम ऊंचाई वाले फर्नीचर, कम पीप होल, स्लाइडिंग अलमारी के दरवाजे, तार-रहित टेलीफोन, दरवाजे की घंटी से जुड़ी ब्लिंकिंग लाइट, व्हील चेयर सहित आसान पहुंच के लिए चौड़े दरवाजे के साथ, कम से कम एक कमरा दिव्यांगजनों के लिए प्रदान कराना आवश्यक है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिसलन-रोधी रैंप, लॉबी स्तर पर निर्दिष्ट शौचालय (यूनिसेक्स), निर्दिष्ट पार्किंग आदि भी उपलब्ध कराए जाने हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने वाले होटलों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार की भी स्थापना की है।

(viii) भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए कार्यस्थल पर अलग शौचालय सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के सहयोग से बनाए गए हैं। निगम की व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट 2019-20 (वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 का हिस्सा) के अनुसार यह सम्मिलित किया गया है कि आईटीडीसी की सेवा में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की श्रेणी (2 कार्यकारी और 2 गैर-कार्यकारी) के तहत 4 कर्मचारी हैं। अशोक होटल में कमरों की सूची में दो प्रतिशत समर्पित, जिसमें तीन सुइट शामिल हैं, दिव्यांग अतिथियों के लिए विशेष फिटिंग के साथ सुसज्जित हैं।

********